

মান্য II-- ভোত্র 3-- ত্রব-জ্বাত্র (ii) PART II--Section 3---Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192] No. 192] नई दिल्सी, सोमवार, अप्रैल 12, 1999/चैत्र 22, 1921 NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 1999/CHAITRA 22, 1921

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1999

आयकर

का.आ. 248(अ).— भारत के असाधारण राजपत्र, भाग, II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 24 अक्तूबर, 1998 को पृष्ठ 1 और 2 में प्रकाशित भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दिनांक 24 अक्तूबर, 1998 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1113(अ) के पृष्ठ 2 में,

(क) नियम 1 के उपनियम (1) में, पंक्ति, 11 में ''(28वां संशोधन)'' के स्थान पर ''(छब्बीसवां संशोधन)'' पढ़ें;

(ख) पंक्ति 25 में ''दिनांक 24-12-98 की अधिसूचना सं. का. आ.————'' के स्थान पर ''दिनांक 16 दिसम्बर, 1998 की अधिसूचना का. आ. 1079(अ)'' पढें।

> [अधिसूचना सं. 10872/फा. सं. 142/49/97~टीपीएल] सुनीति श्रीवास्तव, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th April, 1999

INCOME-TAX

S.O. 248(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), Central Board of Direct Taxes number S.O. 1113(E) dated 24th December, 1998 published at pages 1 and 2 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 24th December, 1998 at page 2,

(a) in sub-rule (1) of rule 1, line 11 for "(28th Amendment)", read "(Twenty sixth Amendment)";

-(b) in line 25, for "vide notification No. S.O. ----- dated 24-12-98" read "vide notification No. S.O. 1079(E) dated 16th December, 1998".

[Notification No. 10872/F. No. 142/49/97-TPL] SUNITI SRIVASTAVA, Under Secy.